न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री समदर सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 84/2024

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. वीरमाराम पुत्र किशनाराम 2. कंवराराम पुत्र किशनाराम 3. घमंडाराम पुत्र किशनाराम 4. बींजाराम पुत्र किशनाराम जातियान जाट निवासी धन्ने की ढाणी तहसील सिणधरी		1. रूपाराम पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी बिलासर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 2. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री पाबूराम बेनिवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार उपस्थित।
3. शेष एकतरफा।

आदेश

दिनांक– 16.10.2025

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 113/1 रकबा 1.9901 एवं विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 112/1 रकबा 3.8994 हैक्टेयर ग्राम बिलासर पटवार मण्डल कमठाई तहसील सिणधरी का आया हुआ है। कि मूल खसरा के विभाजन से प्रार्थी एवं विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 112/1, 113/1 की तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के कब्जे काश्तनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूलवश कब्जा काश्त से विपरित लट्ठा ट्रेस मे कर दी गई जबकि मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त जिसमें पक्षकारान की रहवासी ढाणीयां टांके, चारबाड़े आदि बने हुए है, जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से विपरित स्थान पर है तथा कब्जा काश्तनुसार तरमीम नहीं होने से खातेदारान/पक्षकारान में हमेशा तनाजा बना रहता है। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.21 10:58:12 IST
Reason: SelfAttested

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी कि प्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 113/1 रकबा 1.9901 एवं विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 112/1 रकबा 3.8994 हैक्टेयर ग्राम बिलासर पटवार मण्डल कमठाई तहसील सिणधरी का आया हुआ है। कि मूल खसरा के विभाजन से प्रार्थी एवं विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 112/1, 113/1 की तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के कब्जे काश्तनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूलवश कब्जा काश्त से विपरित लट्ठा ट्रेस मे कर दी गई जबकि मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त जिसमें पक्षकारान की रहवासी ढाणीयां टांके, चारबाड़े आदि बने हुए है, जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से विपरित स्थान पर है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 14.10.2025 में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

4. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया प्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 113/1 रकबा 1.9901 एवं विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 112/1 रकबा 3.8994 हैक्टेयर ग्राम बिलासर पटवार मण्डल कमठाई तहसील सिणधरी का आया हुआ है। कि मूल खसरा के विभाजन से प्रार्थी एवं विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 112/1, 113/1 की तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के कब्जे काश्तनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूलवश कब्जा काश्त से विपरित लट्ठा ट्रेस मे कर दी गई, जो कि गलत है एवं तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम हो रखी है,जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 14.10.2025 से होता है, इस प्रकार प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होनें के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी हो रही है,जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थीगण मौके पर कब्जा [illegible] सार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samandar Singh Bhati
Date: 2025.12.21 10:58:12 IST
Reason: SelfAttested

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 113/1 रकबा 1.9901 एवं विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 112/1 रकबा 3.8994 हैक्टेयर ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

बिलासर पटवार मण्डल कमठाई तहसील सिणधरी की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट 3135 दिनांक 14.10.2025 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

(समदर सिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 16.10.2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.21 10:58:12 IST
Reason: SelfAttested